(2008) 12 एस.सी.आर. 76

मैसर्स संदुर माइक्रो सर्किट्स लिमिटेड

बनाम

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, बेलगाम

(सिविल अपील सं. 7177/2005)

13 अगस्त, 2008

(डॉ. अरिजीत पसायत एवं डॉ. मुकुन्दकम शर्मा, जे.जे.)

सेनफ्रा/उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम,1944- धारा 5ए- के तहत अधिसूचना- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र ''वैधानिक अधिसूचना के साथ सीधे मतभेद में- परिपत्र की प्रभावशीलता- अवधारित किया।'' परिपत्र अधिसूचना के प्रभाव को खत्म नहीं कर सकता।

केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जारी दिनांक 19.09.1997 का परिपत्र क्रमांक 42, 1997 की धारा 5ए(1) के तहत वैधानिक रूप से जारी एक अधिसूचना के साथ सीधे मतभेद में था। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं नमक अधिनियम 1944, अर्थात् क्रमांक 2/95-

सीई दिनांक 04.01.1995 अधिसूचना क्रमांक 21/97 द्वारा संशोधित सीई दिनांक 11.04.1997, 100/95- सीई दिनांक 02.06.1995 एवं 7/96- ई सीई दिनांक 01.07.1996।

सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण ने यह अवधारित किया है कि अधिसूचना का परिपत्र पर अधिभावी प्रभाव था और इसलिए माल पर करतादा का कुल सीमा शुल्क भुगतान जो कि एकत्रित सीमा शुल्क का 50 प्रतिशत है जो घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डी.टी.ए) के अधीन था, कानूनी रूप से मान्य नहीं होना घोषित किया गया।

तत्कालीन अपील में, निर्धारिती अपीलकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि परिपत्र के विभिन्न निधारितियों द्वारा किये गये अभ्यावेदन के अनुसार जारी किया गया है। अधिसूचना उक्त परिपत्र के आधार पर उन्हें दी जाने वाली राहत के रास्ते में नही आयेगी। अतः अपील खारिज की गई।

अवधारित किया: कोई परिपत्र वैधानिक रूप से जारी अधिसूचनाओं के प्रभाव को खत्म नहीं कर सकता। वास्तव में, कुछ मामलों में यह निर्धारित हुआ है कि परिपत्र छूट अधिसूचना में कटौती नहीं कर सकता है एवं छूट अधिसूचना के दायरे को वर्जित और कम नहीं कर सकता है। दूसरे शब्दों में यह निर्धारित किया गया है कि एक परिपत्र जारी करके छूट के दायरे को सीमित करके या इसे सीमित या बंद करके कोई शर्त नहीं लगाई

जा सकती। यह सिद्धांत तत्कालिक मामलों पर भी लागू होता है हालांकि विवाद अलग प्रकृति का है। (पैरा 5){78,ई-एफ}

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील नं. 7177/2005

सीमा शुल्क उत्पाद एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण बैंगलोर के अपील सं. ई/1139/2002 आदेश सं. 1173/2005 दिनांक 19.07.2005 का निर्णय

साथ

सी.ए. नं. 5025, 5024/2008 एवं 6897/2005

ए.आर. माधव राव, मोनिश पाण्डा एवं एम.पी. दवानाथ अपीलकर्ता की ओर से।

नवीन प्रकाश एवं बी. कृष्णा प्रसाद प्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पसायत द्वारा सुनाया गया

1. एसपीएल (सी) एनडीएस. 16719/2006 एवं 16947/2006 में अनुमति प्रदान की गई।

2. इन सभी अपीलों में सामान्य प्रश्न शामिल हैं और सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलकर्ता न्यायाधीकरण द्वारा पारित निर्णय और अंतिम आदेश के खिलाफ निर्देशित हैं। चूंकि दायर की गई अपील में

कानूनों का सामान्य प्रश्न शामिल हैं अतः तथ्यात्मक पहलुओं से विस्तृत रूप से निपटने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रश्न यह है कि केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (संक्षिप्त रूप "बोर्ड") अर्थात् परिपत्र नं. 42/1997 दिनांक 19.09.1997 का क्या प्रभाव होना चाहिए।

सी.ई.एस.टी.ए.टी ने यह निर्धारित किया कि अधिसूचना नं. 2/95-सीई दिनांक 04.01.1995 जो कि संशोधित किया अधिसूचना नं. 21/97-सीई दिनांक 11.04.1997, 100/95-सीई दिनांक 02.06.1995 एवं 7/96-सीई दिनांक 01.07.1996 का परिपत्र पर अधिभावी प्रभाव है। यह माना गया कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि घरेलू टैरिफ क्षेत्र को मंजूरी दे दी गई वस्तुओं पर कुल सीमा शुल्क का 50 प्रतिशत भुगतान करने का दायित्व कानूनी रूप से मान्य नहीं है। यह माना गया कि परिपत्र अधिसूचना सं. 2/95 के साथ सीधे मतभेद में था।

3. प्रत्येक मामले में अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने कहा कि परिपत्र विभिन्न निर्धारितियों द्वारा किये गये अभ्यावेदन के आधार पर जारी किया गया था और इसलिए अधिसूचना दी गई राहत को प्रभावित नहीं कर सकती है।

4. दूसरी ओर प्रत्यार्थी के वकील ने कहा कि जो अधिसूचना वैधानिक रूप से जारी की जाती है उसका अधिभावी प्रभाव होता है क्योंकि अधिसूचनाएं

केन्द्रीय और नमक अधिनियम 1944 की धारा 5ए की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए जारी की जाती है।

5. वैधानिक रूप से जारी अधिसूचना के विपरीत एक परिपत्र की प्रभावशीलता से संबधित मुद्दे की इस अदालत द्वारा कई मामलों में जांच की गई है। कोई भी परिपत्र वैधानिक रूप से जारी अधिसूचनाओं के प्रभाव को समाप्त नहीं कर सकता है। वास्तव में कुछ मामलों में यह माना गया है कि परिपत्र छूट अधिसूचना को छोटा नहीं कर सकता है और छूट अधिसूचना के दायरे को सीमित नहीं कर सकता है या इसे प्रभावित नहीं कर सकता है। इसके शब्दों में यह माना गया है कि परिपत्र जारी करके छूट के दायरे को सीमित करने या इसे सीमित करने या कम करने के लिए कोई नई शर्त नहीं लगाई ज सकती है। यह सिद्धांत विभिन्न प्रकृति के बावजूद तात्कालिक मामलों पर भी लागू होता है।

6. अपील विफल होकर खारिज की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' के जरिए अनुवादक न्यायाधिकारी नेहा खरे, आर.जे.एस. द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय वादी के प्रतिबंधित उपयोग के लिए उसकी भाषा में समझाने के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।